(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 32/20224

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/81

1. करतार पुत्र जयलाल, उम्र 55 वर्ष निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

................वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र शुभराम उम्र 50 वर्ष निवासी मनोहरपुरा
2. राजकुमार पुत्र जयलाल उम्र 52 वर्ष निवासी मनोहरपुरा
3. शेरसिंह पुत्र जयलाल उम्र 45 वर्ष निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)।

................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबतः– खाता विभाजन

–:निर्णयः– दिनांकः– 10/1/2025

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम भूरीवास स्थित खातेदारी कास्त की भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 16 के खसरा नं0 31 रकबा 3.06 है0 भूमि के खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 दर्ज रिकार्ड कास्तकार है। उपरोक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 भाग व प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/6 भाग दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि में वादी का हिस्सा मध्य भाग में स्थित है जिसमें उसने मकानात भी बना रखे है।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्से का बाहमी बटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज कास्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में भूमि सामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसका विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है।
3. यह कि वादी अपने हिस्से की भूमि का समतलीकरण करके व पेड़–पौधे आदि लगाकर कृषि सुधार करना चाहता है लेकिन वाद वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण उसे ऐसा करने में भारी दिक्कत हो रही है जिसके लिए उसने गत सप्ताह सभी सह खातेदारों को अपने–अपने हिस्से का विधिवत बंटवारा करवाने के लिए कहा लेकिन सह खातेदार नौकरी पेशा होने के कारण बाहर रहते है लिए सहमति नहीं बन पाई जिसके लिए वादी को अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने के लिए यह दावा न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ।
4. यह कि दावे के लिए आधार गत सप्ताह पैदा हुआ जब सभी पक्षकारों को अपनी भूमि का खाता विभाजन करने के लिए कहने पर सभी की सहमती ना बनने के कारण यह दावा बाबत खाता विभाजन का न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ जो सावधि पेश है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:—

(क). कि वाके ग्राम भूरिवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के हाल खसरा नम्बर 31 रकबा 3.06 हैक्टर में वादी का 1/6 हिससे का मौके पर कब्जे के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर खाता अलहेदा किया जावे व लगान भी अलग से कायम किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 01.07.2024 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 334 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2632 दिनांक 23.10.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075—2078 वाके ग्राम भूरिवास स्थित भूमि हाल खाता संख्या 16 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—::आदेश::—

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भूरिवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 16 के खसरा नम्बर 31 रकबा 3.06 हैक्टर में वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ—1 लगायत अ—3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 10/1/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 32 / 2024 **जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 81**

करतार **बनाम** जयसिंह आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री नरेश कुमार एडवोकेट** की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भूरिवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 16 के खसरा नम्बर 31 रकबा 3.06 हैक्टर में वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10/1/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

10/1/25
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना